भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या **1927**

जिसका उत्तर शुक्रवार, 6 दिसंबर, 2024/15 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाना है।

डीएपी उर्वरक के विकल्प

1927. डॉ. कलानिधि वीरास्वामी:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में डायामोनियम फॉस्फेट (डीएपी) उर्वरक की वर्तमान कमी के क्या कारण हैं;
(ख) क्या डीएपी की कमी ने किसानों को, विशेषकर फसल उत्पादन और कृषि आदानों की लागत के संदर्भ में प्रभावित किया है;
(ग) सरकार द्वारा देशभर में किसानों को डीएपी उर्वरक की समय पर और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है;
(घ) क्या दीर्घावधि में आयातित डीएपी पर निर्भरता को कम करने के लिए डीएपी के स्रोतों में विविधता लाने अथवा वैकल्पिक उर्वरकों की तलाश करने के लिए कोई प्रयास किए जा रहे हैं; और
(ड.) क्या सरकार उन किसानों की सहायता के लिए कोई राजसहायता अथवा राजसहायता कार्यक्रम लागू करने पर विचार कर रही है जो डीएपी की बढ़ी हुई लागत या अनुपलब्धता से असमान रूप से प्रभावित हो रहे हैं?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के आकलन के अनुसार, चालू रबी मौसम 2024-25 के लिए देश में डीएपी की आवश्यकता 52.05 एलएमटी है। 01.10.2024 से 03.12.2024 की अवधि के लिए 35.52 एलएमटी की यथानुपात आवश्यकता के लिए, राज्यों में 38.27 एलएमटी डीएपी उपलब्ध कराया गया है। इसके अतिरिक्त, उक्त अवधि के दौरान डीएपी की बिक्री 29.22 एलएमटी है और राज्यों के पास 9.05 एलएमटी डीएपी का अंतिम स्टाक है।

(ग): देश में उर्वरकों की समय पर और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा प्रत्येक मौसम में निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं:

i. प्रत्येक फसल मौसम के शुरू होने से पहले, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीए एंड एफडब्ल्यू), सभी राज्य सरकारों के परामर्श से, उर्वरकों की राज्य-वार और माह-वार आवश्यकता का आकलन करता है।

ii. उर्वरक विभाग अनुमानित आवश्यकता के आधार पर मासिक आपूर्ति योजना जारी करके राज्यों को उर्वरकों की उचित/पर्याप्त मात्रा आवंटित करता है और उपलब्धता की निरंतर निगरानी करता है।

iii. सभी प्रमुख सब्सिडी प्राप्त उर्वरकों के संचलन की निगरानी देश भर में एकीकृत उर्वरक निगरानी प्रणाली (आईएफएमएस) नामक एक ऑनलाइन वेब आधारित निगरानी प्रणाली द्वारा की जाती है;

iv. कृषि एवं किसान कल्याण विभाग और उर्वरक विभाग द्वारा राज्य कृषि अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से नियमित साप्ताहिक वीडियो काफ्रेंरस की जाती है और राज्य सरकारों द्वारा बताए अनुसार उर्वरकों के प्रेषण के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

v. उर्वरकों की मांग (आवश्यकता) और उत्पादन के बीच के अंतर को आयात के जरिए पूरा किया जाता है। मौसम में आयात की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पहले से ही निर्धारित दिया जाता है।

(घ): भारत सरकार (जीओआई) डीएपी की अतिरिक्त आपूर्ति की खरीद के लिए उर्वरक कम्पनीयों के माध्यम से डीएपी उत्पादक देशों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ रही है। तदनुसार, मोरक्को, मिस्त्र और सऊदी अरब सहित देशों में डीएपी की खरीद बढ़ाने के अवसरों का पता लगाया गया है। इसके अलावा, भारत सरकार ने फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पीएण्डके) उर्वरकों के लिए 01.04.2010 से पोषक-तत्व आधारित सब्सिडी नीति लागू की है, जिसके अंतर्गत अधिसूचित पीएण्डके उर्वरकों पर सब्सिडी दी जाती है, जिसमें सिंगल सुपरफास्फेट (एसएसपी) भी शामिल है। इसके अलावा, भारत सरकार ने नैनो डीएपी को उर्वरक नियंत्रण आदेश (एफसीओ)-1985 के अंतर्गत अधिसूचित किया है।

(ङ.): भारत सरकार ने पीएण्डके उर्वरकों के लिए उचित दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं जिनमें यह सुनिश्चित किया गया है कि पीएण्डके उर्वरक किसानों को उचित मूल्य पर उपलब्ध हों। तदनुसार, सभी किसानों को सब्सिडी प्राप्त दरों पर उर्वरकों की आपूर्ति की जा रही है।

******